माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2001

§1§ श्री रामबली जैसवाल पिता मोलई जैसवाल

§2§ चैनू तेली तनय नाथू तेली सभी निवासी ग्राम कोरसर तह. चितरंगी जिला सीधी

.... आवेदकगण

विरूद्ध

शीतलप्रसाद तिवारी पिता श्री चित्रसेन राम तिवारी निवासी ग्राम कोरसर तह. चितरंगी जिला सीधी §म.प्र.§

.... अनावेदक

निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 24.11.2001 पारित द्वारा माननीय अपर आयुक्त महोदय रीवा सम्भाग के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 636/3/99-2000

- - - -

माननीय महोदय,

आवेदक निम्न प्रकार से निगरानी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करता है:- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक क्रमांक 1 रामबली जैसवाल ने आवेदक क्रमांक 2 चैनू तेली से उक्त भूमि आराजी क्रमांक खसरा नं. 550/2/3 रकवा 2.823 दिनांक 15.4.99 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया और मौके पर काबिज हुए इसके उपरान्त आवेदक के नाम से नामान्तरण हो गया ।

:: आधार ::

§1§ यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं साक्ष्य का उचित परिशीलन किये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है ।

.... 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2317–एक/01 जिला – सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.4.16	आवेदक के अधिवक्ता एवं आवेदक लगभग 3 पेशियों से अनुपस्थित है । आवेदक के अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । सदस्य	